कैलास और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य टी. और. तलुक्का पी. एस.

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 11)

05 जनवरी, 2011

[मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 459 , 354 , 323 , 506 (2) सपठित धारा 34 -के तहत दोषसिद्धि अनुसूचित जनजाति से संबंधित युवा महिला को अभियुक्तों द्वारा घूसों और लातों से पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और फिर गाँव की सड़क पर नग्न अवस्था में घुमाया गया।

दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 452 , 354 , 323 , 506 (2) सपठित धारा 34 और जुर्माने के साथ छः माह के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा 354/34 के लिए जुर्माने के साथ एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा और अपराध अंतर्गत धारा 323/34 के लिए जुर्माने के साथ तीन महीने का कठोर कारावास की सजा। अभियुक्त को धारा 3 एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया और सजा सुनायी गयी।

अभियुक्त को धारा 3 एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जहां तक जुर्माना लगाने के संबंध में, प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना पीडित को देने का निर्देश दिया गया। हालांकि कई गवाह पक्षद्ोही हो गए, पीड़ित के बयान पर अविश्वास करने का कारण नहीं है। पीडित के साक्ष्य की पुष्टि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र द्वारा की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए आई. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी और जुर्माना बरकरार रखा गया, हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा बहुत कम थी- व्रतमान मामला पूरी तरह से निंदा और कठोर दंड के योग्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 -धारा 3.

अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराष्ट्र में एक युवा महिला है जो भील जनजाति (अनुसूचित जनजाति) से संबंधित, उसके पीडब्लू 9 के साथ अवैध संबंध थे।

वह एक उच्च जाति का था और उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था और उसके माध्यम से दूसरी बार गर्भवती भी हुयी थी।दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर अपीलकर्ता-अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे पीटा घूसों और लात मारा और

उसके कपडे फाड़ने के बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया। फिर उसे पीटते हुए और गाली देते हुए एक गाँव की सड़क पर नग्न अवस्था में घुमाया।

सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354, 323, 506 (2) सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और 100/- रूपये जुर्माने के साथ 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और आई. पी. सी. की धारा 354/34 के लिए 100/- रूपये जुर्माने के साथ 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आई. पी. सी. की धारा 323/34 के तहत 100/- रूपये जुर्माने के साथ 3 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत अपीलार्थियों को बरी कर दिया, लेकिन आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, जुर्माना लगाने के संबंध में, प्रत्येक अपीलार्थी को आदेशित किया कि वह मात्र पांच हजार रूपये का जुर्माना पीडित को अदा करे। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने तत्काल याचिका दायर की।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

दंड संहिता के विभिन्न परावधानों के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और उन पर जुर्माना लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले में

हस्तक्षेप करने का कोइ कारण नहीं है। दरअसल, अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा बहुत कम थी। [पैरा 11] [100-एफ]

1.2 स्वयं पीड़ित 'एन' पीडब्लू4 के साक्ष्य हैं और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि कई गवाह पक्षद्ोही हो गए हैं परंतु पीडब्लू 4 के बयान पर अविश्वास करने का कारण नहीं है। वास्तव में, पीडब्लू 9 अभियोजन पक्ष के मामले का कुछ हद तक समर्थन किया। उन्होंने पीडब्लू 4 के साथ अपने अवैध संबंधों को स्वीकार किया और स्वीकार किया कि उससे उनकी एक बेटी हुई और वह उसके द्वारा दूसरी बार गर्भवती थी। भले ही पीडब्लू 9 ने वास्तविक घटना का समर्थन नहीं किया, कम से कम उनके द्वारा स्वीकार किए गए बिंदुओं पर उनका साक्ष्य पीडब्लू 4 के साक्ष्य की पुष्टि करता है। [पैरा 12] [100-जी-एच; 107-ए]

1.3 पीडब्लू 2 ने स्थान साबित किया। उन्होंने कहा कि पीडब्लू 4 के घर के सामने पंचनामा बनाया गया था। पंचनामे के समय पीडब्लू 4 के साथ पुलिस भी थी और उसने अपने घर को लेकर पीडब्लू3 की दूकान के सामने तक का पूरा क्षेत्र दिखाया था। पुलिस ने पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा बनाए गए कपड़े फटी हुई हालत में जब्त कर लिए। घर के सामने चूड़ियों के टुकड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार, पीडब्लू2 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 13] [101 बी-सी]।

1.4 ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी शक्तिशाली व्यक्ति हैं गाँव में सभी चश्मदीद गवाह डर या किसी प्रलोभन से पक्षद्रोही हो गए हैं। हालांकि, पीडब्लू8-डॉक्टर ने चिकित्सा प्रमाण पत्र साबित किया और कहा कि पीड़ित व्यक्ति पर दो चोटें थीं। [पैरा 14] [101-डी]

1.5 दिन दहाडे गाँव की सड़क पर एक आदिवासी महिला की परेड शर्मनाक, चौंकाने वाली और अपमानजनक है। पीडब्लू 4 के अपमान ने कठोर सजा का आह्वान किया, यह आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गयी सजा को बढाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की। [पैरा 15] [101-ई-एफ]

2. भारत में जबरदस्त विविधता है और यह भारत में हज़ारों सालों तक बड़े पैमाने पर प्रवास और आक्रमणों के कारण है। भारत में आने वाले विभिन्न अप्रवासी/आक्रमणकारी अपने साथ अपनी विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों आदि को लेकर आए। चूंकि भारत महान विविधता का देश है, इसलिए यदि देश एकजुट है तो सभी समुदायों और संप्रदायों के लिए सहिष्णुता और सम्मान होना नितांत आवश्यक है। भारत का संविधान जो धर्म निरपेक्ष है, हमारे देश में जबरदस्त विविधता को पूरा करता है। इस प्रकार यह भारत का संविधान है जो हमारी तमाम विविधता के बावजूद हमें एक साथ रख रहा है, क्योंकि संविधान देश में सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषायी व जातीय समूहों आदि को समान सम्मान देता है। संविधान सभी

नागरिकों को गारंटी देता है बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) 25), समानता (अनुच्छेद 14 से 17), स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), आदि। हालांकि भारत में सभी समूहों या समुदायों को ओपचारिक ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष सुरक्षा और सहायता दी जानी चाहिए ताकि उनका गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति से उत्थान किया जा सके। इसके लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), 16 (4), 16 (4 ए), 46 आदि में है। इन समूहों के उत्थान के लिए इनमें से वंचित समूह, भारत में सबसे अधिक वंचित और हाशिए पर रहने वाले आदिवासी (एसटीएस) हैं, जो भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, और सबसे हाशिए पर रहने वाले और निरक्षरता, बीमारी, प्रारंभिक मृत्यु दर आदि की उच्च दर के साथ भयानक गरीबी में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार, देश से प्यार करने वाले सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि अनुसूचित जनजातियों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें अपनी औंर्थिक और सामाजिक स्थिति में ऊपर लाने के लिए हर संभव सहायता दी जाए, क्योंकि वे हजारों सालों से भयानक उत्पीड़न और अत्याचारों से पीडित हुए हैं। इन आदिवासियों के प्रति देशवासियों की मानसिकता बदलना चाहिए और उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए वे भारत के मूल निवासियों के रूप में योग्य हैं।[पैरा 31,34] [107-ई-जी; 108-ए-सी]

3. भारत के जनजातीय लोगों के साथ किया गया अन्याय देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। हस्तगत मामले जैसा उदाहरण पूरी तरह से निंदा और कठोर सजा का पात्र है।

[पारस 36 और 40] [108-जी-एच; 109-जी]

समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. और 1997 एस. सी. 3297-निर्दिष्ट उल्लेख किया गया है।पैरा 34

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2011 का सं. 11

औरंगाबाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ की 1998 आपराधिक अपील संख्या 62 मे पारित निर्णय और आदेश से 10.03.2010 दिनांकित

अपीलार्थियों की ओर से दिलीप ए. तौर और अनिल कुमार।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया

1.अनुमति दी गई।

2. यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा पारित आपराधिक अपील संख्या 62/1998 में दिनांक 10.03.2010 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना।

4. यह अपील एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है कि भारत में हमारे कितने लोग जनजातीय लोगों (अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों)

के साथ व्यवहार करते रहे हैं, जो संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, लेकिन अब हमारे कुल आबादी का केवल 8% हैं और एक समूह के रूप में भारत में सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर समुदायों में से एक है, जिसमें उच्च स्तर की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी और भूमिहीनता शामिल है।

5. वर्तमान मामले में पीड़िता भील जनजाति की 25 वर्षीय एक युवा महिला नंदाबाई है, जो महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति (एसटी) से ताल्लुक रखती है। जिसे आरोपी व्यक्तियों ने लात-घूंसों से पीटा और उसे निर्वस्त्र कर दिया। ब्लाउज और ब्रेसियर और फिर आरोपियों द्वारा पिटाई और दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें नग्न अवस्था में एक गांव की सड़क पर घुमाया गया।

6. चारों आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर द्वारा 05.02.1998 को धारा 452, 354, 323, 506(2) के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने के लिए कठोर कारावास भुगतने और 100/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 354/34 के तहत उन्हें एक वर्ष के लिए कठोर कारावास भुगतने और 100/-रुपये का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई और उन्हें धारा 323/34 आईपीसी के तहत भी उन्हें तीन महीने की सज़ा और 100/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

अपीलकर्ताओं को अनुसूचित मामले और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास भुगतने और 100/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

6. उच्च न्यायलय के समक्ष अपील में अपीलक्रतार्यों को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। हालाँकि, जुर्माने से संबंधित आदेश के उस हिस्से को अलग रखा गया था और प्रत्येक अपीलकर्ता को पीड़िता नंदाबाई को मात्र 5000/- रु. रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था।

7. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता नंदाबाई जो भील समुदाय से है, अपने पिता, विकलांग भाई और विक्षिप्त बहन के साथ रहती थी। उसके PW9 विक्रम के साथ अवैध संबंध थे और उसने उसकी बेटी को जन्म दिया था और उसके माध्यम से दूसरी बार गर्भवती भी हुई थी। विक्रम एक उच्च जाति का है और उसका विवाह उसके परिवार द्वारा उसकी ही जाति की एक महिला से तय किया जा रहा था। दिनांक 13.5.1994 को शाम लगभग 5.00 बजे जब पीड़िता नंदाबाई अपने घर पर थी तो चारों आरोपी उसके घर गए और पूछा कि विक्रम के साथ उसके अवैध संबंध क्यों हैं और उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। उस समय आरोपी

कैलास और बालू ने उसके हाथ पकड़ लिए और आरोपी सुबाबाई उर्फ सुभद्रा ने उसकी साड़ी उतार दी। इसके बाद आरोपी सुभाष ने उसका पेटीकोट उतार दिया और आरोपी सुबाबाई ने पीड़िता नंदाबाई का ब्लाउज और ब्रेसियर फाड़ दिया।इसके बाद आरोपी सुबाबाई और बालू ने पीड़िता नंदाबाई को गांव की सड़क पर घुमाया और उस समय वहां मौजूद चारों आरोपी पीड़िता नंदाबाई के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर रहे थे।

8. रात करीब 8.40 बजे तालुका पुलिस स्टेशन में एफआईऔर दर्ज की गई और जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया. साक्ष्य लेने के बाद विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया।

9. जैसा कि पहले ही उपर उल्लेख किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है लेकिन अनुसूचित मामलों औरअनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सजा को दरकिनार कर दिया गया।

10. हमें आश्चर्य है कि अनुसूचित मामलों और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपियों की सजा को उच्च तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था कि जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और डिप्टी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। पुलिस उपाधीक्षक का कार्य नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल तकनीकी बातें हैं और शायद ही बरी करने का कोई

आधार है, लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय के फैसले के उस हिस्से के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए अब हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

11. हालांकि, हमें आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और उन पर जुर्माना लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। दरअसल, हमें लगता है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा बहुत कम थी।

12. पीड़िता नंदाबाई पीडब्लू 4 के स्वयं के साक्ष्य हैं और हमें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालाँकि कई गवाह पक्षद्ोही हो गए हैं, लेकिन हमें पीड़िता नंदाबाई के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। वास्तव में, PW9 विक्रम ने कुछ हद तक अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। उसने पीड़िता नंदाबाई के साथ अपने अवैध संबंधों को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया है कि उससे उसे एक बेटी है और वह उससे दूसरी बार गर्भवती हुई है। भले ही उन्होंने वास्तविक घटना का समर्थन नहीं किया, लेकिन हमारी राय है कि विक्रम के साक्ष्य कम से कम उनके द्वारा स्वीकार किए गए बिंदुओं पर पीड़ित नंदाबाई के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं।

13. पीडब्लू2 नरेंद्र कलमकर ने मौका पंचनामा प्रदशर् 12 साबित किया है। उन्होंने कहा कि पंचनामा पीडब्लू4, पीड़िता नंदाबाई के घर के सामने बनाया गया था। पंचनामे के समय नंदाबाई के साथ पुलिस भी थी और उसने अपने घर से लेकर पीडब्लू3 शंकर पवार की दुकान के सामने तक का पूरा क्षेत्र दिखाया था। पुलिस ने पीडब्लू4 नंदाबाई द्वारा प्रस्तुत फटे हुए हालत में कपड़े जब्त कर लिए। घर के सामने चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। इसलिए PW2 नरेंद्र कलमकर पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी गाँव के शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि सभी चश्मदीद गवाह डर या किसी प्रलोभन के कारण पक्षद्ोही हो गए हैं। हालाँकि, PW8 डॉ. अशोक इंगले ने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रद्रश 26 साबित कर दिया और कहा कि पीड़िता के शरीर पर दो चोटें थीं।

15. दिनदहाड़े एक आदिवासी महिला की गांव की सड़क पर परेड शर्मनाक, चौंकाने वाली और अपमानजनक है। पीड़िता नंदाबाई के अपमान पर कड़ी सजा की मांग की गई और हमें आश्चर्य है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की।

16. अपीलकर्ताओं का आरोप है कि भील समुदाय के लोग फटे कपड़ों में रहते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं हैं। यह

स्वयं आरोपियों की मानसिकता को दर्शाता है जो आदिवासियों को हीन या निम्नमानव मानते हैं। आधुनिक भारत में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

17. भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में रहते हैं। वे ज्यादातर आदिवासी लोग हैं और कई अन्य समुदायों द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार के बावजूद अपने आदिवासी जनजातीय रीति-रिवाजों को संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं।

18. 'अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों की विश्व निर्देशिका - भारतः आदिवासी' लेख में कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भीलों पर बेरहमी से अत्याचार किया गया था। यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता और पाया जाता कि वह भील है, तो अक्सर उसे मौके पर ही मार दिया जाता था। ऐतिहासिक वृत्तांत हमें बताते हैं कि संपूर्ण भील समुदाय को मार डाला गया और मिटा दिया गया। इसलिए, भील पहाड़ों और जंगलों के गढ़ों में पीछे हट गए।

19. इस प्रकार भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं जिन्हें 'आदिवासी' या अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में भारत की आबादी का केवल 8% हैं। भारत की बाकी 92% आबादी अप्रवासियों के वंशजों की है। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका की तरह अप्रवासियों का देश है। हम इस पर कुछ

विस्तार से विचार कर सकते हैं। भारत मोटे तौर पर आप्रवासियों का देश है

20. जबकि उत्तरी अमेरिका (यूएसए और कनाडा) नए अप्रवासियों का देश है, जो पिछली चार या पांच शताब्दियों में मुख्य रूप से यूरोप से आए थे, वहीं भारत पुराने अप्रवासियों का देश है, जहां पिछले दस हजार वर्षों से लोग आते रहे हैं। या ऐसा। संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग आप्रवासियों के वंशज हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर-पूर्व से आए थे। चूँकि यह हमारे देश की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना आवश्यक है।

21. लोग असुविधाजनक क्षेत्रों से आरामदायक क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। आधुनिक उद्योग के आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे, और भारत उनके लिए स्वर्ग था क्योंकि कृषि के लिए समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए प्रचुर पानी आदि की आवश्यकता होती थी जो भारत में प्रचुर मात्रा में थी। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में पलायन क्यों करना चाहिए, जिसका इलाका कठोर, चट्टानी और पहाड़ी है और साल में कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, जब कोई फसल नहीं उगा सकता है। इसलिए, लगभग सभी आव्रजन और

आक्रमण बाहर से भारत में आए (उन भारतीयों को छोड़कर जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाहर भेजा गया था, और हाल ही में कुछ मिलियन भारतीयों का नौकरी के अवसरों के लिए विकसित देशों में प्रवास)। भारत से भारत के बाहर आक्रमण का शायद एक भी उदाहरण नहीं है।

22. भारत देहाती और कृषि समाजों के लिए एक वास्तविक स्वर्ग था क्योंकि इसमें समतल और उपजाऊ भूमि, सैकड़ों नदियाँ, जंगल आदि हैं और यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसलिए हज़ारों वर्षों तक लोग भारत में आते रहे क्योंकि उन्हें यहां एक ऐसे देश में आरामदायक जीवन मिलता था जो प्रकृति द्वारा उपहार में दिया गया था।

23. जैसा कि महान उर्दू शायर फ़िराक़ गोरखपुरी ने लिखा है:

"सर ज़मीन-ए-हिंद पर अक्वाम-ए-आलम के फ़िराक़ काफ़िले
गुज़रते गए हिंदुस्तान बनता गया"

मतलब -

"हिन्द की सरजमीं पर दुनिया भर के लोगों के कारवां आते
रहे और हिंदुस्तान बनता गया।"

24. भारत के मूल निवासी कौन थे? एक समय यह माना जाता था कि द्रविड़ ही यहां के मूल निवासी थे। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को बाद में काफी संशोधित किया गया है, और अब आम तौर पर स्वीकृत धारणा यह

है कि भारत के मूल निवासी पूर्व-द्रविड़ आदिवासी थे यानी वर्तमान आदिवासियों या आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के पूर्वज थे । इस संबंध में द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया (खंड-I), प्राचीन भारत में इस प्रकार कहा गया है:

> "हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि, जब 'द्रविड़' शब्द का प्रयोग नृवंशविज्ञान के रूप में किया जाता है, तो यह एक सुविधाजनक लेबल से ज्यादा कुछ नहीं है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले आदिवासी हैं।

दक्षिणी भारत में, जैसा कि उत्तर में, पहाड़ियों और जंगलों की अधिक आदिम जनजातियों और उपजाऊ इलाकों के सभ्य निवासियों के बीच समान सामान्य अंतर मौजूद है; और कुछ नृवंशविज्ञानियों का मानना है कि अंतर नस्लीय है और केवल संस्कृति का परिणाम नहीं है। श्री थर्स्टन, के लिए उदाहरण, कहते हैं:

"यह पूर्व-द्रविड़ियन आदिवासी हैं, न कि बाद के और अधिक सुसंस्कृत द्रविड़ियन, जिन्हें आदिम मौजूदा नस्ल के रूप में माना जाना चाहिए...... ये पूर्व-द्रविड़ियन ......द्रविड़ियन वर्गों से अलग हैं उनका छोटा कद और चौड़ी (प्लैटिराइन) नाक। इस विश्वास के लिए मजबूत आधार है कि पूर्व-द्रविड़ जातीय रूप से सीलोन के वेदों, सेलेब्स के तलास, सुमात्रा के बातिन और संभवतः ऑस्ट्रेलियाई से संबंधित हैं। (मद्रास) प्रेसीडेंसी, पृ. 124-5.)"

तब, यह संभावित प्रतीत होगा कि द्रविड़ भाषाओं के मूल वक्ता बाहरी थे, और नृवंशविज्ञान द्रविड़ एक मिश्रित नस्ल हैं। अधिक रहने योग्य क्षेत्रों में दोनों तत्व विलीन हो गए हैं, जबकि आदिवासियों के प्रतिनिधि अभी भी उन स्थानों (पहाड़ियों और जंगलों) में हैं, जहां वे नवागंतुकों के

अतिक्रमण से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यदि यह दृष्टिकोण सही है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों ने, लंबे युग के दौरान, अपनी प्राचीन भाषाएँ खो दी हैं और अपने विजेताओं की भाषाएँ अपना ली हैं। भाषाई परिवर्तन की प्रक्रिया, जो अभी भी भारत के अन्य हिस्सों में देखी जा सकती है, अन्य जगहों की तुलना में दक्षिण में अधिक पूर्ण रूप से क्रियान्वित की गई प्रतीत होती है।

यह सिद्धांत कि द्रविड़ तत्व सबसे प्राचीन है जिसे हम उत्तरी भारत की आबादी में खोज सकते हैं, उसे भी मुंडा भाषाओं, बोली के ऑस्ट्रिक परिवार के भारतीय प्रतिनिधियों और मिश्रित भाषाओं के बारे में अब जो कुछ भी पता है, उससे संशोधित किया जाना चाहिए। जिसमें उनके प्रभाव का पता लगाया गया है (पृ.43)। यहाँ, अब उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार,ऐसा प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रिक तत्व सबसे पुराना है, और यह एक ओर द्रविड़ और इंडो-यूरोपीय की क्रमिक लहरों द्वारा और दूसरी ओर तिब्बती-चीनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। अन्य। अधिकांश नृवंशविज्ञानियों का मानना है कि मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के वर्तमान वक्ताओं के बीच शारीरिक प्रकार में कोई अंतर नहीं है। इस कथन पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है; लेकिन, अगर यह सच है, तो

यह दर्शाता है कि नस्लीय स्थितियाँ इतनी जटिल हो गई हैं कि उनके घटकों का विश्लेषण करना अब संभव नहीं है। केवल भाषा ने ही वह रिकार्ड सुरक्षित रखा है जो अन्यथा नष्ट हो जाता।

साथ ही, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि द्रविड़ भाषाएं वास्तव में उत्तरी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में उस समय फल-फूल रही थीं जब उत्तर-पश्चिम से औैर्य आक्रमणों द्वारा इंडो-यूरोपीय प्रकार की भाषाओं का आगमन हुआ था। द्रविड़ विशेषताओं को वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत, प्राकृत, या प्रारंभिक लोकप्रिय बोलियों और उनसे प्राप्त आधुनिक स्थानीय भाषाओं में समान रूप से खोजा गया है। इस प्रकार भाषाई स्तर आस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो-यूरोपीय क्रम में व्यवस्थित प्रतीत होंगे। तो, यह मानने का अच्छा आधार है कि, इंडो-औैर्यन बोलने वालों के आने से पहले, द्रविड़ भाषाएँ उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों में प्रमुख थीं; लेकिन, जैसा कि हमने देखा है, दोनों क्षेत्रों की आबादी में पुराने तत्व खोजे जा सकते हैं, और इसलिए यह धारणा कि द्रविड़ आदिवासी हैं, अब मान्य नहीं है। क्या यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि वे भारत में कहाँ से आये? उनकी उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत कायम नहीं किया जा सकता है जो

सुदूर बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में द्रविड़ भाषा के बड़े द्वीप ब्राहुई के अस्तित्व का कारण नहीं बताता है जो भारत में पश्चिमी मार्गों के पास स्थित है। क्या ब्राहुई द्रविड़ों के आप्रवासन का एक जीवित निशान है - पश्चिम से भारत में आने वाले लोग? या क्या यह भारत से बलूचिस्तान तक अतिप्रवाह की सीमा को चिह्नित करता है? दोनों सिद्धांत माने गए हैं; लेकिन चूंकि लोगों के सभी महान आंदोलन भारत में हुए हैं, न कि भारत से बाहर, और एक सुदूर पहाड़ी जिले के रूप में प्राचीन जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने की उम्मीद की जा सकती है, जबकि इसके उपनिवेश होने की संभावना नहीं है, पूर्व दृष्टिकोण एक प्राथमिकता होगी ऐसा लगता है कि इसकी संभावना कहीं अधिक है।"

25. गूगल में 'भारत के मूल निवासी' का उल्लेख है:

"पहले के कई मानवविज्ञानियों का मानना था कि द्रविड़ लोग एक साथ एक अलग नस्ल थे। हालांकि, व्यापक आनुवंशिक अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि यह मामला नहीं है।

भारत के मूल निवासियों की पहचान मुंडा भाषा बोलने वालों से की जा सकती है, जो भारतीय-और्यन या द्रविड़ भाषाओं से असंबंधित हैं।

26. इस प्रकार अब आम तौर पर स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ नहीं बल्कि पूर्व-द्रविड़ मुंडा आदिवासी थे, जिनके वंशज वर्तमान में छोटानागपुर (झारखंड), छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि, टोडा के कुछ हिस्सों में रहते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरि, अंडमान द्वीप समूह में आदिवासी, भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी (विशेषकर जंगलों और पहाड़ियों में) जैसे गोंड, संथाल, भील, आदि।

27. इस मुद्दे पर अधिक विस्तार में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ऊपर उल्लिखित तथ्य निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं कि भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग अप्रवासियों के वंशज हैं (हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है)।

28. यही कारण है कि भारत में इतनी विविधता है। यह विविधता हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसे समझाने का एकमात्र तरीका यह स्वीकार करना है कि भारत काफी हद तक अप्रवासियों का देश है।

29. हमारे देश में बड़ी संख्या में धर्म, जातियाँ, भाषाएँ, जातीय समूह, संस्कृतियाँ आदि हैं, जिसका कारण यह है कि भारत अप्रवासियों का देश है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, बीच में सभी प्रकार के रंग हैं, किसी में कोकेशियान विशेषताएं हैं, किसी में मंगोलॉइड

विशेषताएं हैं, किसी में नेग्रोइड विशेषताएं हैं, आदि। पोशाक, भोजन की आदतों में अंतर हैं और विभिन्न अन्य मामले।

30. हम भारत की तुलना चीन से कर सकते हैं जो जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों में भारत से बड़ा है। चीन की जनसंख्या लगभग 1.3 अरब है जबकि हमारी जनसंख्या लगभग 1.1 अरब है। साथ ही, चीन के पास हमसे दोगुने से भी ज़्यादा ज़मीन है। हालाँकि, सभी चीनियों में मंगोलॉइड विशेषताएं हैं; उनके पास एक सामान्य लिखित लिपि (मंदारिन चीनी) है और उनमें से 95% एक जातीय समूह से संबंधित हैं, जिन्हें हान चीनी कहा जाता है। इसलिए चीन में व्यापक (यद्यपि पूर्ण नहीं) एकरूपता है।

31. दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत में जबरदस्त विविधता है और इसका कारण हजारों वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर प्रवास और आक्रमण हैं। भारत में आने वाले विभिन्न आप्रवासी/आक्रांता अपने साथ अपनी विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएँ, धर्म आदि लेकर आए, जो भारत में जबरदस्त विविधता का कारण है।

32. चूँकि भारत महान विविधताओं का देश है, इसलिए यदि हम अपने देश को एकजुट रखना चाहते हैं तो सहिष्णुता और सभी समुदायों और संप्रदायों के लिए समान सम्मान का होना नितांत आवश्यक है। यह हमारे संस्थापकों की बुद्धिमत्ता के कारण था कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है

जो चरित्र में धर्मनिरपेक्ष है, और जो हमारे देश में जबरदस्त विविधता को पूरा करता है।

33. इस प्रकार यह भारत का संविधान ही है जो हमारी तमाम विविधताओं के बावजूद हमें एक साथ रख रहा है, क्योंकि संविधान देश के सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषाई और जातीय समूहों आदि को समान सम्मान देता है। संविधान सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25), समानता (अनुच्छेद 14 से 17), स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), आदि की गारंटी देता है।

34. हालाँकि, भारत में सभी समूहों या समुदायों को औपचारिक समानता देने से वास्तविक समानता नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष सुरक्षा और सहायता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। यही कारण है कि हमारे संविधान में इन समूहों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 16(4 ए), 46 आदि में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इन वंचित समूहों में, भारत में सबसे अधिक वंचित और हाशिए पर रहने वाले आदिवासी (एसटी) हैं, जो, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, और सबसे अधिक हाशिए पर हैं और निरक्षरता की उच्च दर के साथ भयानक गरीबी, बीमारी, प्रारंभिक मृत्यु आदि में रह रहे हैं। उनकी दुर्दशा का वर्णन इस न्यायालय द्वारा समथा

बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में किया गया है । एआईऔर 1997 एससी 3297 (पैराग्राफ 12 से 15 के माध्यम से)। इसलिए, यह उन सभी लोगों का कर्तव्य है जो हमारे देश से प्यार करते हैं कि वे यह देखें कि अनुसूचित जनजातियों को कोई नुकसान न हो और उन्हें उनकी औथिक और सामाजिक स्थिति में लाने के लिए हर संभव मदद दी जाए, क्योंकि वे हजारों वर्षों से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। वर्षों तक भयानक जुल्म और अत्याचार सहते रहे। इन आदिवासियों के प्रति हमारे देशवासियों की मानसिकता बदलनी होगी, और उन्हें भारत के मूल निवासियों के रूप में वह सम्मान देना होगा जिसके वे हकदार हैं।

35. भीलों की वीरता को उस महान भारतीय योद्धा राणा प्रताप ने भी स्वीकार किया था, जो अपनी सेना में भीलों को उच्च सम्मान देते थे।

36. भारत के आदिवासियों के साथ हुआ अन्याय हमारे देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। आदिवासियों को 'राक्षस' (राक्षस), 'असुर' और न जाने क्या-क्या कहा जाता था। बड़ी संख्या में उन्हें मार दिया गया, और जो बचे और उनके वंशजों को अपमानित किया गया, अपमानित किया गया और सदियों तक उन पर सभी प्रकार के अत्याचार किए गए। उन्हें उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया गया,और जंगलों और पहाड़ों में धकेल दिया गया, जहाँ वे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि का दयनीय जीवन जीते हैं। और अब कुछ लोगों द्वारा उन्हें उनके जंगल और पहाड़ी ज़मीनों से भी

वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ वे रहते हैं और वनोपज जिस पर वे जीवित हैं।

37. आदिवासियों पर अन्याय का प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत के आदिपर्व में एकलव्य की कहानी है। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे नीच जानकर धनुर्विद्या सिखाने से इंकार कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। वह शायद अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन जाता, लेकिन चूंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का पसंदीदा शिष्य था, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि वह अपना दाहिना अंगूठा काट ले और उसे 'गुरु दक्षिणा' के रूप में दे दे (शिक्षक को पारंपरिक रूप से छात्र द्वारा अध्ययन के बाद दिया जाने वाला उपहार)। एकलव्य ने अपनी सरलता से वही किया जो उससे कहा गया था।

38. यह द्रोणाचार्य का शर्मनाक कृत्य था। उन्होंने एकलव्य को पढ़ाया भी नहीं था, तो उन्हें 'गुरु दक्षिणा' मांगने का क्या अधिकार था, और वह भी एकलव्य के दाहिने अंगूठे की, ताकि एकलव्य अपने पसंदीदा शिष्य अर्जुन से बेहतर धनुर्धर न बन सके?

39. अपने ऊपर हुए इस भयानक अत्याचार के बावजूद, भारत के आदिवासियों ने आम तौर पर (हालांकि हमेशा नहीं) हमारे देश के गैर-आदिवासियों की तुलना में नैतिकता का उच्च स्तर बरकरार रखा है। वे

आम तौर पर धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते और अन्य दुष्कर्म नहीं करते जो कई गैर-आदिवासी करते हैं। वे आम तौर पर चरित्र में गैर-आदिवासियों से श्रेष्ठ होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जाए।

40. इस मामले में जिस तरह के उदाहरणों से हम चिंतित हैं, वे पूर्ण निंदा और कठोर दंड के पात्र हैं।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनय डाबी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गय है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।